FIRST INFORMATION REPORT

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(Under Section 154 Cr.P.C.) (दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 154 के अन्तर्गत)

1.District(जिला)चूरू.P.S(थाना)सीपीएसजयपुरYear(वर्ष).2022FIRNo.(प्रसूरिसं)Dateदिनांक). %-03 .22
2. (i) Act (अधिनियम)भ्रष्टाचार निवारण(संशोधन2018)अधिनियम Sections(धाराऐं) 7
(ii) Act (अधिनियम) Sections (धाराऐं)
(iii) Act (अधिनियम)Sections (धाराऐं)
(iv) Other Acts & Sections (अन्य अधिनियम एवं धाराएँ)
3.(a)(क) Occurrence of offence(घटना का)Day(दिन)Date from(दिनांक से) Yr 2022 Date 15.3.2022 to
(दिनांक तक) Time Period (पहर)4.00 PMTime From(बजे से)Time to(बजे तक (b)(ख)Information
received at P.S.(थाने पर प्राप्त सूचना)Date (दिनांक) Time(समय). (c)(ग)General Diary
Reference (रोजनामचासन्दर्भ)Entry No(प्रविष्टि संख्या) 3.2.5 Time(समय) 4.15 PM
4. Type of Information (सूचना कैसे प्राप्त हुयी) . Written/Oral (लिखित / मौखिक)लिखित
5. Place of Occurrence(घटना स्थल का ब्योरा)
(a)(क) Direction and distance from PS(थाने से दिशा एवं दूरी) 55 KM दक्षिण-पूर्व .Beat No (बीट संख्या)
(b)(ख) Address (पता) हॉटल खाना खजाना झुन्झुनू
(c)(x) In case outside the limit of this Police Station then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो तक उस)
Name of PS (थाने का नाम) District (जिला)
6. Complainant/Informant (शिकायतंकर्ता / इत्तला देने वाला)
(a)(क) Name (नाम)श्री श्याम सिंह
(b)(ख) Father`s/Husband`s Name (पिता / पित का नाम) श्री बजरंग सिंह राजपूत
(c)(ग) Day/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)36 YR(d)(घ) Nationality(राष्ट्रीयता)भारतीय
(e)(ड) Passport No (पासपोर्ट संख्या)
date of Issue (जारी करने की तिथि) Place of Issue (जारी करने का स्थान)
(f)(च) Occupation (व्यवसाय) होटल व्यवसाय
(g)(छ) Address (पता) नया बास चूरू।
7. Details of know/Suspected/Unknown Accused with full particulars(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात
अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) Attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नथी करें)
1. श्री संदीप कुमार पुत्र जयलाल जाति जाट निवासी गुडान तहसील राजगढ जिला चूरू हाल सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार

-406

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायत / इत्तला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण)......शून्य.....

9. Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पति का विवरण) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें)

- 10. Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पति का कुल मुल्य) .. Trap Rs 25,000
- 11. Inquest Report (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट) U.D case No.(अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं.) if any (यदि कोई हो तो)
- 12. F.I.R. Contents (प्र.स्.रि. की विषय वस्तु) attach separate sheet, if necessary (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ट नत्थी करें) सेवामें.

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

विषय:- श्री संदीप कुमार निरीक्षक ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू द्वारा रिश्वत मांगने के सम्बधं में।

मान्यवर,

नम्र निवेदन है कि मेरे पिताजी श्री बजरंग सिंह राठौड के नाम से चूरू शहर में पुराने बस रटैण्ड के पास राठौड लॉज एण्ड रेस्टोरेन्ट है। इसमें सारा काम मै ही सम्भालता हूँ। दिनांक 11.03.2022 को ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू के श्री संदीप निरीक्षक मेरे पास लॉज में आया तथा लॉज का विजिट किया और कार्यरत कर्मचारियों का लॉज में संधारित समस्त रिकॉर्ड का अवलोकन किया व मेरे से बातचित की। संदीप कुमार ने कहा कि आपका हॉटल काफी पुराना है, कर्मचारी भी कार्यरत है। कर्मचारियों को दिये जाने वाले वेतन में बींमा नही किया जा रहा है आपको पैनल्टी सहित करीब 20 लाख रूपये जमा कराने होगें। मैने कहा हॉटल में 8—10 कर्मचारियों का स्टाफ है जो सीजन के अनुसार कम—ज्यादा करते रहते हैं। इस पर संदीप जी ने कहा कि 35,000रू. मुझे खर्चे के दे देना मै पीछे के वर्षों का रिकॉर्ड सही कर दूंगा तथा अप्रेल 2022 से हमारे विभाग का चूरू में कार्यालय खुल जायेगा तथा मै ही यहा ईन्वार्ज रहुगां। इसलिए आगे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। श्री संदीप कुमार निरीक्षक ESIC श्रम मन्त्रालय झुन्झुनू मेरे से नाजायज 35,000रू. रिश्वत के मांग रहा है मै उसे रिश्वत न देकर रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। आप आवश्यक कार्यवाही करे। दिनांक 14.03.2022

(एसडी)

श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह निवासी नया बास चुरू मो०न० 9352894681

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 14.03.2022 को वक्त 4.45 पीएम पर श्री श्याम सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह जाति राजपूत उम्र 36 वर्ष निवासी नया बास चूरू ने हाजिर कार्यालय एसीबी चूरू होकर उपरोक्त लिखित रिपोर्ट मन् उप पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत की। परिवादी की रिपार्ट का अवलोकन किया गया। मजीद पुछताछ पर श्री श्याम सिंह ने बताया कि चूरू शहर में पुराने बस स्टैण्ड के पास राठौड़ लॉज एण्ड रेस्टोरेंट नाम से मेरे पिताजी ने होटल कर रखा है। इस होटल को मैं ही सम्भालता हूं। दिनांक 11.03.2022 को श्री संदीप जी इन्सपेक्टर ईएसआईसी श्रम मंत्रालय झुन्झुनू मेरे पास होटल में आये व होटल में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन सम्बन्धी रिकार्ड देखा और कहा कि ईएसआईसी चूरू में वर्ष 2016 से लागू हो गई है। आपका होटल काफी पुराना है तथा कर्मचारी भी ज्यादा है। आपके 2016 से कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी वसूली निकलेगी। मैनें कहा कि होटल में ज्यादातर 8-10 कर्मचारी रहते है तथा सीजन के हिसाब से कर्मचारी कम ज्यादा भी करते रहते है। संदीप कुमार इन्सपेक्टर ने इस सम्बन्ध में मेरे से काफी वार्ता की तथा कहा कि आपके वसूली तो निकलेगी तथा आगे भी कार्यरत कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी कार्य होगा तथा संदीप जी ने अपने मोबाईल के केलकूलेटर में 35000 रूपये लिखकर मेरे को दिखाया व कहा कि इतना खर्चा मेरे को दे देना मैं आपका पीछे

वाला सारा हिसाब सही करवा दूंगा। हमारा कार्यालय चूरू में भी खुलने वाला है उसमें मैं ही इंचार्ज रहूंगा इसलिए भविष्य में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। इस पर मैंने कहा कि मैं मेरे बड़े भाई एवं पिताजी से वार्ता कर आपसे बात करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे होटल में कर्मचारी कम है, कर्मचारियों की बीमा सम्बन्धी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। संदीप जी इंस्पेक्टर मेरे से कर्मचारियों के बीमा के सम्बन्ध में नाजायज 3,5000 रूपये रिश्वत के मांग रहे है, जिसे मैं नहीं देना चाहता। मैं उन्हें रिश्वत लेते रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। मेरी संदीप जी से कोई जान पहचान नहीं है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई दुश्मनी या रंजीश है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन—देन बकाया है, उक्त रिपोर्ट पेश करता हूँ जिस पर मेरे हस्ताक्षर है। परिवादी श्याम सिंह की रिपोर्ट एवं मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाने पर परिवादी श्याम सिंह को रिशवती मांग सत्यापन वार्ता के सम्बधं में पूछा तो बताया कि मैं कल सुबह झुन्झुनू जाकर संदीप जी से रिश्वत के सम्बध में वार्ता कर सकता हूँ। जिस पर परिवादी श्याम सिंह को दिनांक 15.03.22 को सुबह चौकी आने का निर्देश देकर रूखस्त किया गया।

दिनांक 15.03.2020 को वक्त 8.30 एएम पर परिवादी श्री श्याम सिंह हाजिर चौकी आया। श्री दीपेश कुमार कानि व परिवादी का आपस में परिचय करवाकर परिवादी श्याम सिंह को सरकारी वॉईस रिकार्डर ऑपरेट करने की विधी समझाकर सुपुर्द किया गया एवं कानि दीपेश कुमार के साथ रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता के लिये परिवादी के वाहन से रवाना झुन्झनू किया गया। वक्त 12.30 पीएम पर परिवादी श्याम सिंह व कानि दीपेश कुमार हाजिर चोकी आये व परिवादी ने बताया कि झुन्झनू पंहुच आरोपी संदीप कुमार से पीरूसिंह सिर्कल स्थित हॉटल खाना खजाना में मेरी वार्ता हुई जिसमें आरोपी ने मेरे से 30,000रू. रिश्वत के मांगे परन्तु मेरे द्वारा 25,000रू. की कहने पर वह 25,000रू. रिश्वत के लेने के लिए सहमत हो गया है। मेरी व संदीप कुमार की पैसे व कार्य के सम्बंध में हुई वार्ता को मैने रिकॉर्ड कर लिया है। परिवादी द्वारा प्रस्तुत वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को जरिये कम्प्यूटर सुना गया तो आरोपी द्वारा परिवादी से 25,000रू. रिश्वत की मांग करना स्पष्ट पाया गया। चुंकि आरोपी ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर आज ही 3—4 बजे तक झुन्झनू बुलाया है तथा ट्रेप का आयोजन कर झुन्झनू पंहुचने में समय लगेगा इसलिए मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांस्किप्ट आईन्दा तैयार की जावेगी। रिकॉर्ड वार्ता का वॉईस रिकॉर्डर मन् उप अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्याम सिंह निर्देशानुसार रिश्वत में दिये जाने वाले 25,000 रूपये साथ लाया है।

कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी, चूरू से दो सरकारी कर्मचारी श्री एस. आर. मेघवाल एसीटीओ व श्री निखिल कुमार किनष्ट सहायक तलविदा हाजिर चोकी आये। आमदा दोनो सरकारी कर्मचारियों का परिवादी श्री श्याम सिंह द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो गवाहान ने अपनी सहमित व्यक्त की। इस पर दोनो गवाहों का परिवादी से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया। रूबरू गवाहान परिवादी श्री श्याम सिंह ने मन् उप अधीक्षक पुलिस के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले पच्चीस रूपये भारतीय मुद्रा के पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार है:—

1	एक नोट दो हजार रूपये का नोट नम्बर	1 CU 988691
2	;;	2CM 305512
3	;;	8BL 015686
4	;;	4MK 629846
5	;;	0FT 407325
6	;;	2AD 609447
7	***	2GB 174424
8	;;	5GG 342493
9	;;	7AB 644775
10	एक नोट पांच सौ रूपये का नोट नम्बर	9SK 892283
11	;;	5HV 307328
12	;;	6SB 693848
13	;;	0NK 016945
14	;;	0KS 007072
15	;;	7LQ 000720
16	;;	4DQ 630751

300

गुष्ट	-	4

17	;;	5VG 704619
18	;;	0CV 414778
19		7DW 521490
20		8BQ 706420
21	;;	2EH 430710
22	;;	8HP 628043
23	;;	INB 976442

उपरोक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री बसन्त सिंह कानि. 164 से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री श्याम सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री निखिल कुमार से लिवायी जाकर रिश्वती राशि को परिवादी श्याम सिंह के पहनी पेन्ट की साईड की दाहीनी जेब में श्री बसन्त सिंह कानि. से रखवाई गई। परिवादी श्याम सिंह को हिदायत की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की गई कि आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात रिश्वत स्वीकृति का ईशारा करें। परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिकवाया गया व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। परिवादी श्याम सिंह को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सुपूर्द किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्व पेसकसी व सुपुदर्गी नोट अलग से तैयार की गई। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी सुरक्षित रखवाई गई, रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी का उसका मोबाईल सुपूर्व किया गया।

समय 02.20 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्याम सिंह दोनो गवाह श्री एस.आर. मेघवाल व निखिल कुमार तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री गिरधारी सिंह स.उ.नि., नरेन्द्र सिंह हैड कानि, ओम प्रकाश, श्रवण कुमार, राकेश कुमार, रीपेन्द्र सिंह, दीपेश कुमार कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर जरिये प्राईवेट वाहन संठ आरजे 10 यूए 6236 मय चालक बजरंग लाल एवं परिवादी श्याम सिंह के निजी वाहन स्कॉर्पियो से वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही चूरू से रवाना झुन्झुनू के लिए हुआ। श्री बसन्त सिंह कानि को बाद आवश्यक हिदायत चौकी पर छोडा गया।

समय 3.30 पीएम पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय परिवादी श्याम सिंह, दोनो गवाहों व चौकी के जाप्ते सहित जिरये वाहन के झुन्झुनू में केन्द्रीय विद्यालय के पास पंहुचा। परिवादी श्याम सिंह द्वारा आरोपी से जिरये मोबाईल सम्पर्क किया तो आरोपी ने कहा कि अभी मैं मिटिंग में हूँ, 15—20 मिनट बाद मिटिंग से फी होकर आपको फोन कर दुंगा। थोडी देर बाद परिवादी श्याम सिंह के पास आरोपी संदीप कुमार का फोन आया व उसने कहा कि मैं मिटिंग से फी हो गया हूँ, आप मेरे कार्यालय के पास हॉटल खाना खजाना के आगे मेरे को मिल जाना। इस पर मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान के दोनो वाहनो से रवाना होकर पीरूसिंह सर्किल झुन्झुनू के पास हॉटल खाना खजाना के पास पहुचे। परिवादी श्याम सिंह को आवश्यक निर्देश देकर आरोपी संदीप कुमार से सम्पर्क करने हॉटल खाना खजाना के लिए रवाना किया। मन् उप अधीक्षक पुलिस मय जाप्ते के हॉटल के आगे काफी तादाद में खडे एवं बैठे व्यक्तियों के पास इधर—उधर खडे होकर हॉटल के अन्दर एक व्यक्ति के साथ गये परिवादी के ईशारे का इन्तजार करने लगे। मैं उप अधीक्षक पुलिस हॉटल के मुख्य द्वार के अन्दर बने कांउटर के पास अपनी उपस्थित छुपाते हुए मुकीम हुआ।

समय 4.00 पीएम पर परिवादी श्याम सिंह ने होटल खाना खजाना में मुख्य गेट पर खड़े मन् उप अधीक्षक पुलिस को सामने हॉल में से रिश्वत स्वीकृति का निर्धारित ईशारा अपने सीर पर हाथ फेर कर करने पर मैं उप अधीक्षक पुलिस दोनों गवाहान मय ट्रेप दल के होटल के अन्दर परिवादी के पास पहुंचा। परिवादी श्याम सिंह ने अपने पास कुर्सी पर बैठे एक व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यहीं संदीप जी ईएसआईसी के अधिकारी है जिन्होंने अभी—अभी मेरे से यहां बैठे बैठे ही पूर्व की वार्ता अनुसार रिश्वत राशि मांगी तो मैने 25,000 रूपये अपनी जेब से निकाल कर इनको दिये, इन्होंने मेरे से रूपये अपने दाहीने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी पेंट की साईड की दाहीनी जेब में रख लिये व कहा कि अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, अब मैं आपका सारा काम सेट कर दूंगा। इस पर परिवादी श्याम सिंह से रिश्वत लेन—देन के समय हुई वार्ता का टेप रिकॉर्डर प्राप्त कर परिवादी द्वारा बताये गये उस व्यक्ति को मन उप पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उसका परिचय पूछा तो वह व्यक्ति

ZOG-

एकदम से घबरा गया व अपना नाम संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू होना बताया। संदीप कुमार को परिवादी श्याम सिंह से रिश्वत लेने बाबत पूछा तो संदीप कुमार कुछ नही बोला व इधर-उधर देखने लगा, पुनः तसल्ली से पुछा तो संदीप कुमार ने बताया मैं श्याम सिंह को जानता हूं, यह मेरे परिचित है। मैं दिनांक 11.03.2022 को बिसाउ में किसी फर्म का निरीक्षण करने गया था। निरीक्षण उपरान्त चूरू शहर स्थित भविष्य में खुलने वाले हमारे कार्यालय के लिये बीएसएनएल के सामने मकान देखा। तत्पश्चात मैं रास्ते पर स्थित राठौड़ लॉज चूरू के निरीक्षण के लिये गया था। उस दिन श्याम सिंह ने अपनी आवश्यकता के लिये मेरे से 50000 रूपये उधार लिये थे। जिनको एक दो दिन में वापिस देने के लिये कहा था। आज श्याम सिंह सुबह भी मेरे से इसी होटल में मिला था तथा अभी आकर मुझे 25000 रूपये दिये है जो मेरे पास पेंट की जेब में है। श्याम सिंह को उधार दिये पैसे की मेरे पास कोई लिखा पढी नहीं है। आज दिनांक 15.03.22 तक हमारे कार्यालय से राठौड़ लॉज एण्ड रेस्टोरेन्ट चूरू के नाम से कर्मचारियों के बीमा सम्बन्धी कोई नोटिस जारी नहीं किया गया तथा ना ही कोई पत्राचार किया गया है। इस पर हाजिर परिवादी श्याम सिंह ने बताया कि संदीप जी सरासर झुठ बोल रहे है। यह मेरे कोई परिचित नहीं है, मैं इनको नहीं जानता, दिनांक 11.03.2022 को पहली बार संदीप जी चूरू मेरे पास होटल में आये थे व होटल का निरीक्षण एवं होटल में कार्यरत कर्मचारियों की हाजरी एवं वेतन सम्बन्धी रिकार्ड का अवलोकन किया व कहा कि आपका होटल काफी पुराना है, कर्मचारियों की बीमा सम्बधी आपकी काफी वसूली निकलेगी। मैनें कहा 8–10 कर्मेचारी हमारी होटल में है जिनको सीजन के अनुसार कम ज्यादा भी करते रहते है। इस पर संदीप जी ने अपने मौबाईल के केलकूलेटर में 35000 हजार रूपये लिखकर मेरी तरफ दिखाया व कहा कि इतना खर्चा दे देना, मैं आपका सारा काम सही कर दूंगा। आज दिनांक 15.03.22 को करीब 10 बजे मैं इनसे होटल खाना खजाना में मिला तो इन्होनें मेरे से पहले 30000 हजार रूपये मांगे व बाद में मेरे द्वारा 25000 की कहने पर लेने के लिये सहमत हो गये तथा कहा कि आज ही देकर जाना। यह 25000 रूपये मैनें इनको मेरे होटल में कर्मचारियों के बीमा सम्बन्धी कोई कार्यवाही एवं वसूली नहीं करने की एवज में संदीप जी द्वारा रिश्वत के मांगने पर दिये है। आरोपी संदीप कुमार के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी संदीप कुमार का दायां व बांया हाथ क्रमशः ओमप्रकाश व दीपेश कुमार कानिगण ने कलाईयों से पकड लिया। उक्त पूछताछ होने तक होटल खाना खजाना में ग्राहकों एवं अन्यों की भीड़ इक्कठा होना शुरू हो गई इसलिए सुरक्षित कार्यवाही करने के लिये आरोपी संदीप कुमार के दोनों हाथ पकड़े पकड़े बाहर गाड़ी में बैठाकर पास ही स्थित सानिवि डाक बंगला पहुँच आगे की कार्यवाही शुरू की गई। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में साफ कांच के दो गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रिंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दोनो गवाहान ने गुलाबी रंग बताया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा—आधा डालकर शिशीयों को सीलिचेट बंद कर मार्क आर-1, आर-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के बायें हाथ की अंगूलियों को ही डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, गिलास के इस मिश्रण को दोनो गवाहान ने गुलाबी रंग बताया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा—आधा डॉलकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क एल-1, एल-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् उप पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी श्री संदीप कुमार के पहनी पेंट की जेबों की तलाशी एस.आर. मेघवाल से लिवाई गई तो पेंट की साईड की दाहीनी जेब में दो-दो हजार व पांच-पांच सौ रूपये के नोट मिले। जिनको गवाह ने गिनकर 25000 रूपये बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकसी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटों के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहों से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। उक्त कार्यवाही के पश्चात कम्प्यूटर संचालन के लिए डाक बंगला में सुबह से लाईट नहीं होने के कारण आगे की कार्यवाही के लिये पास ही स्थित एसीबी कार्योलय झुन्झुनु पहुंच कार्यवाही शुरू की गई। आरोपी से बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अंकित कर उपरोक्त 25,000 रूपयों के नोटो को खुले कपड़े में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी श्री संदीप कुमार के लिए एक लोवर की व्यवस्था करवाकर इनके पहनी पेंट बरंग नीली को उतरवाकर इसके साईड

40 5

की दाहिनी जेब को उलटवाकर प्रकियानुसार सोडियम कार्बीनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में धुलवायी गई तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। आरोपी श्री संदीप कुमार की उक्त पेंट की जेब को सुखाकर उक्त पेंट को सील्ड कर वास्ते वजह सबूत जप्त की गई। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती नोट अलग से तैयार कर शामिल

ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील का नमूना सील जरिये फर्द अलग से लिया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका व हालात मौका अलग से जरिये फर्द तैयार किया गया। आरोपी श्री संदीप कुमार को बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। परिवादी श्याम सिंह व आरोपी संदीप कुमार के मध्य रिश्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता जो परिवादी ने टेप में रिकॉर्ड की है, उस वार्ता को जरिये लैपटॉप सुन-सुन कर फर्द ट्रास्किप्ट अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। मौके पर ट्रेप कार्यवाही सम्पन्न कर उप अधीक्षक पुलिस, दोनो गवाहान, परिवादी व जाप्ता तथा गिरफतार आरोपी श्री संदीप कुमार व ट्रेप कार्यवाही में जप्त सम्बंधित वजह सबूत हमराह लेकर जरिये दोनो प्राईवेट वाहन के झुन्झुनू से रवाना होकर चौकी चूरू पंहुचे। परिवादी श्याम सिंह व आरोपी संदीप कुमार के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन में हुई वार्ती जो परिवादी ने टेप में रिकॉर्ड की है, उस वार्ता को जरिये कम्प्यूटर सुन-सुन कर फर्द ट्रास्किप्ट अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर-14 को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया। ट्रेप में जप्त वजह सबूत पच्चीस हजार रूपये रिश्वती राशि सील्ड, धोवन की छः सील्ड शिशियां, मांग सत्यापन व रिश्वत लेन-देन वार्ता की सील्ड व खुली सीडियां तथा पेन्ट पकैट दुरस्त सउनि श्री गिरधारी सिंह को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। उक्त ट्रेप में समय-समय पर की गई कार्यवाही का पृथक से एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्याम सिंह पुत्र श्री बजरंग सिंह निवासी चूरू के चूरू शहर स्थित उसके हॉटल राठौड लॉज एवं रेस्टोरेंट का आरोपी श्री संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बींमा निगम श्रम एवं रोजगार मन्त्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुनू द्वारा दिनांक 11.03.2022 को निरीक्षण किया गया तथा हॉटल में कार्यरत कर्मचारियों की उपस्थिति एवं वेतन सम्बंधी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। आरोपी संदीप कुमार द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर हॉटल में कार्यरत कर्मचारियों के बीमां सम्बधी कटौति नहीं करने पर परिवादी श्याम सिंह को पूर्व की वसूली राशि निकालने एवं भविष्य में उसके विरूद्ध कार्यवाही नही करने की एवज में पच्चीस हजार रूपये रिश्वत की मांग करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 15.03.2022 को अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से भिन्न परिवादी से 25,000रूपये रिश्वत के झुन्झुनू शहर स्थित होटल खाना खजाना में प्राप्त किये। श्री संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुन का उक्त कृत्य धारा ७ भ्र०नि० (संशोधन 2018) अधिनियम में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है।

अतः श्री संदीप कुमार सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार शाखा झुन्झुन के विरुद्ध धारा ७ भ्र०नि० (संशोधन 2018) अधिनियम में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट

श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज० जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

उप अधीक्षक पुलिस, भ्र0नि० ब्यूरो चुरू

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री शब्बीर खान, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री संदीप कुमार पुत्र श्री जयलाल, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, शाखा झुन्झुनूं के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध सख्या 91/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 809-13 दिनांक 16.3.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कम संख्या-2, जयपुर।
- 2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
- 3. बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार सीआईजी मार्ग नई दिल्ली।
- 4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
- 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।